समाहरणालय, मधेपुरा।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
:– आदेश :–

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 07 (आवंटन)/कृ0, दिनांक 27.04.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 02– बाढ़ चकवात आदि के लघु शीर्ष–114– कृषि लागतों के कय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष –0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन0 –2245021140001 मद में मो0 – **9,15,15,000/– (नौ करोड़ पंद्रह लाख पंद्रह हजार रूपये मात्र)** रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन में से वर्तमान में **7,75,00,000/–** (सात करोड़ पचहत्तर लाख रू0) मात्र का उपावंटन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों मधेपुरा जिला को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नाकिंत शर्त्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है :–

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	प्रखंड विकास पदा0,मधेपुरा	75,00,000.00	75,00,000.00
2	प्रखंड विकास पदा0,घैलाढ़	50,00,000.00	50,00,000.00
3	प्रखंड विकास पदा0, सिहेंश्वर	50,00,000.00	50,00,000.00
4	प्रखंड विकास पदा0, गम्हरिया	50,00,000.00	50,00,000.00
5	प्रखंड विकास पदा0, शंकरपुर	50,00,000.00	50,00,000.00
6	प्रखंड विकास पदा0, मुरलीगंज	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
7	प्रखंड विकास पदा0, कुमारखंड	50,00,000.00	50,00,000.00
8	प्रखंड विकास पदा0, उदाकिशुनगंज	50,00,000.00	50,00,000.00
9	प्रखंड विकास पदा0, ग्वालपाड़ा	50,00,000.00	50,00,000.00
10	प्रखंड विकास पदा0, बिहारीगंज	75,00,000.00	75,00,000.00
11	प्रखंड विकास पदा0, चौसा	75,00,000.00	75,00,000.00
12	प्रखंड विकास पदा0, पुरैनी	50,00,000.00	50,00,000.00
13	प्रखंड विकास पदा0, आलमनगर	50,00,000.00	50,00,000.00
	कुल योग :–	**7,75,00,000.00**	**7,75,00,000.00**

(मो0 7,75,00,000/– (सात करोड़ पचहत्तर लाख) रू0 मात्र)

उपावंटन की शर्तें :–

(1) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र /विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल सियाही से **"8000–आकस्मिकता निधि"** अंकित किया जाए।

(2) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 02– बाढ़ चकवात आदि के लघु शीर्ष–114– कृषि लागतों के कय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष –0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन0 – 2245021140001 मांग संख्या –39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान –वेतनादि के अलावा मद में विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015 द्वारा उपबंधित राशि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

(3) विभागीय कार्यालादेश संख्या–1993, दिनांक–27–04–2015 एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–01/ प्रा0आ0–0–3–23/ 15–03 (सा0 अनु0) /आ0प्र0 दिनांक 22–04–2015 एवं 14 (सा0अनु0)/ आ0प्र0,

दिनांक– 26–04–2015 में उल्लेखित शर्तो एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी **(प्रति संलग्न)।**

(4) यह आवंटन मार्च /अप्रैल, 2015 में ओलावृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त फसलों के लिए एस0डी0आर0एफ0 के मानदर के अनुरूप किसानों को देय कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। प्रभावित कृषकों को आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक– 1388/आ0प्र0, दिनांक– 24–07–2004 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा गठित अनुश्रवण समिति –सह– निगरानी समिति की देख–रेख में आर0टी0जी0एस0 /चेक (एकाउन्टपेयी) के माध्यम से राशि का भुगतान कराया जाए तथा लाभुकों की सूची जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित की जाए।

(5) व्यय के तुरंत बाद टी0भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाए।

(6) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है । किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होगें।

(7) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

(8) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की दूसरी तारीख तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

(9) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15–03–2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(10) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रीम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

(ह0) 27/4/15 — प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।
(ह0) 27/04 — अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।
(ह0) 27/04/15 — जिलाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक : 125 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 27.04.15

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– DIO, मधेपुरा को जिले के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(ह0) 27/4/15 — प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।
(ह0) 27/4 — अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।
(ह0) 27/04/15 — जिलाधिकारी, मधेपुरा।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो० –20/15(सांख्यिकी)– 1994 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
(गोपालगंज को छोड़कर)

विषय : **वर्ष 2014–15 के रबी/गर्मा मौसम में राज्य में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु अनुदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वर्ष 2014–15 के रबी/गर्मा मौसम में राज्य में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से राज्य के 37 जिलों में फसलों की क्षति हुई है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु कृषि इनपुट अनुदान मद में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आवंटन को कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध करायी गयी राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना है :–

1. सहायता राशि का वितरण भारत सरकार का पत्रांक 32–7/2014– NDM–I दिनांक 08.04.2015 की कंडिका 5B के अनुसार किया जाएगा।
2. सीमान्त एवं लघु कृषकों को कृषि फसल/खड़ी फसल की 33 प्रतिशत से अधिक क्षति की स्थिति में लिए असिंचित कृषि भूमि के लिए 6800 रू0/हे० एवं सिंचित कृषि भूमि के लिए 13500 रू0/हे० तथा पैरिनियल फसल के लिए 18000 रू0/हे० की दर से अनुदान देय होगा। छोटी जमीन वाले किसी छोटे किसान को अनुदान की राशि कृषि फसल की क्षति के लिए 1000 रू0 एवं पैरिनियल फसल की क्षति के लिए 2000 रू0 से कम नहीं दी जाएगी।
3. लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को उपरोक्त कंडिका 5B(ii) में वर्णित दर से अधिकतम 2 हे० के लिए ही अनुदान देय होगा।
4. बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट अनुदान देय नहीं होगा।
5. जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त राशि के 90% राशि का उपावंटन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को क्षतिग्रस्त भूमि के रकवा के आधार पर किया जायेगा। शेष 10% राशि का उपावंटन व्यय के आधार पर किया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राशि की निकासी करेंगे एवं उनके द्वारा इस मद की राशि हेतु पृथक रोकड़ बही का संधारण किया जायेगा।
6. क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र का वास्तविक रकवा एवं कृषि विभाग के पत्रांक 1630 दिनांक 31.03.2015 एवं 1834 दिनांक 16.04.2015 के आलोक में तैयार कृषकों की सूची के अनुसार उन्हीं कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान प्रदान किया जाएगा जो राजस्व भू अभिलेख के अनुसार जोत के वैध मालिक हैं। बटाईदार की स्थिति में भू–मालिक एवं बटाईदार के बीच लिखित एकरारनामा की स्थिति में हीं अनुदान राशि भू–मालिक एवं बटाईदार के बीच उसी अनुपात में वितरण किया जाएगा। इसके लिए तैयार कृषकों की सूची को हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचलाधिकारी से सत्यापन निश्चित रूप से करायी जाय।
7. सूची तैयार करने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा वितरण के तीन दिन पूर्व पंचायत राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति को सूची उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त समिति का गठन आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1388 दिनांक 24 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया है जो निम्नवत है :–

1. मुखिया	अध्यक्ष
2. पंचायत वार्ड के सदस्यगण	सदस्य
3. विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	सदस्य
4. सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों	सदस्य
6. पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी	सदस्य सचिव

8. पंचायत राहत अनुश्रवण समिति से अनुमोदित किसानों की सूची को जिला के बेवसाईट पर सर्वसाधारण को अवलोकनार्थ अपलोड किया जाएगा। साथ हीं सूची को सम्बन्धित अंचल के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
9. पंचायत राहत अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कृषकों की संकलित सूची के अनुसार विपत्र तैयार कर कोषागार से निकासी की जाएगी। सभी किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान आर0 टी0 जी0 एस0/ एकाउंट पेयी चेक द्वारा की जायेगी। नगद भुगतान वर्जित किया जायगा। सभी कृषकों का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान मुखिया या पंचायत सेवक/जनसेवक/राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में लिया जायेगा जिनका दायित्व किसानों की पहचान करने का होगा।
10. पूरे कृषि इनपुट अनुदान वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी भी कराई जाय एवं भुगतान में बिचौलियों की भूमिका को नगण्य करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाय। इस प्रकार कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर बेहिचक कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपर्युक्त दिशा–निदेशों के तहत प्रभावित किसानों की पहचान कर अविलंब भुगतान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

27/4

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मो0 - 20/15 - 1994 दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी जिला के प्रभारी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मो0 - 20/15 - 1994 दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निदेशक(शष्य), परिक्षेत्र/सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मो0 - 20/15 - 1994 दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, पी० पी० एम०/ सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग /आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27/4

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मो0 - 20/15 - 1994 दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/4

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो० –20/15(सांख्यिकी)– 1993 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

स्वीकृत्यादेश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1/प्रा०आ०–0–3–23/15–03(सा०अनु०)/आ० प्र० दिनांक 22.04.2015 एवं 14(सा०अनु०)/आ० प्र० दिनांक 26.04.2015 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान(क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड– N2245021140001 में कुल 41308.00 लाख रूपये (चार अरब तेरह करोड़ आठ लाख) रूपये मात्र को निम्न प्रकार जिलावार कर्णांकित किया जाता है :–

राशि : लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अधियाचित राशि	वर्तमान में कर्णांकित राशि	कुल कर्णांकित राशि
1	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	2430.79	787.70	787.70
2	नालन्दा	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	5681.67	1295.85	1295.85
3	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	4492.43	1119.39	1119.39
4	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	7018.19	1576.99	1576.99
5	रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास	8961.65	1986.12	1986.12
6	भभुआ	जिला पदाधिकारी, भभुआ	460.37	117.02	117.02
7	गया	जिला पदाधिकारी, गया	2947.06	701.32	701.32
8	जहानाबाद	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	84.50	84.50	84.50
9	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	16.73	16.73	16.73
10	नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	3.63	3.63	3.63
11	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	6135.11	1446.44	1446.44
12	सारण	जिला पदाधिकारी, सारण	326.67	72.12	72.12
13	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	13785.75	2943.59	2943.59
14	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	11235.60	2559.10	2559.10
15	पूर्वी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	16253.80	3714.45	3714.45
16	पश्चिमी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण	5670.63	1396.13	1396.13
17	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	4140.24	1055.53	1055.53
18	शिवहर	जिला पदाधिकारी, शिवहर	3016.22	707.34	707.34
19	वैशाली	जिला पदाधिकारी, वैशाली	4930.16	1193.05	1193.05
20	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	6733.68	1864.48	1864.48
21	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	9338.05	2315.22	2315.22
22	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	10263.78	2181.35	2181.35
23	बेगुसराय	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	6484.34	1582.44	1582.44
24	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	1149.42	299.27	299.27
25	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	1342.86	344.74	344.74
26	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	272.71	119.53	119.53
27	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	1569.72	385.41	385.41
28	खगड़िया	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	6805.57	1494.54	1494.54
29	भागलपुर	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	5839.48	1400.40	1400.40

30	बांका	जिला पदाधिकारी, बांका	3107.64	705.07	705.07
31	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	4514.27	1004.93	1004.93
32	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	3048.06	777.44	777.44
33	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	4145.04	915.15	915.15
34	पूर्णिया	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया	6950.34	1534.51	1534.51
35	किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	1965.06	433.85	433.85
36	अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	4758.89	1050.67	1050.67
37	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	555.81	122.00	122.00
38	गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	-	-	-
	कुल		**176435.88**	**41308.00**	**41308.00**

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001– कृषि इनपुट अनुदान(क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) माँग संख्या – 39 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा विपत्र कोड N2245021140001 के अन्तर्गत विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015 द्वारा उपबंधित राशि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।
3. मार्च/अप्रैल 2015 में ओलावृष्टि से 37 जिलों में हुई क्षतिग्रस्त फसलों के लिए SDRF के मानदर के अनुरूप किसानों को देय कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। शेष राशि इस आवंटन का 75% व्यय हो जाने के उपरांत आवंटित की जाएगी। अनुरोध है कि प्रभावित कृषकों को आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक 1388/आ० प्र० दिनांक 24.07.2004 द्वारा गठित अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देखरेख में RTGS/Cheque(account payee) के माध्यम से राशि का भुगतान कराया जाय तथा लाभुकों की सूची जिला के बेवसाइट पर प्रकाशित करायी जाय। SDRF का मानदर जो भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014–NDM–I दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत है, को आपदा प्रबंधन विभाग के बेवसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
4. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए० सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी० सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2016 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
6. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष – लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रूटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों** में लाल स्याही से "8000--आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।

9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

10. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

11. अनुरोध है कि उपआवंटित की गई राशि, संबंधित कोषागार तथा डी0 डी0 ओ0 कोड अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय ताकि सी0 टी0 एम0 आई0 एस0 माध्यम से आवंटन को ऑन लाइन प्रविष्टि किया जा सके।

विश्वासभाजन

(ह0) 27/4/15

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो0 - 20/15 - 1993 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 27/4/15

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो0 - 20/15 - 1993 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 27/4/15

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो0 - 20/15 - 1993 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निदेशक(शष्य), परिक्षेत्र/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 27/4/15

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो0 - 20/15 - 1993 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, पी० पी० एम०/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 27/4/15

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो0 - 20/15 - 1993 /कृ0, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 27/4/15

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

(11)

(46)

पत्र संख्या- [प्रा0आ0-2-0-17/2001 1388 /आ0प्र0 ।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग ।

प्रेषक,

सी0 अशोक वर्धन,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 24/7/04

विषय- जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर निम्न रूप से अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है :-

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति- अध्यक्ष ।

(II) अध्यक्ष, जिला परिषद - सदस्य ।

(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद एवं प्रखण्ड प्रमुख - सदस्य ।

(IV) (सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि) - सदस्य ।

(V) जिला पदाधिकारी - सदस्य सचिव ।

(VI) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य ।

(ख) प्रखण्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख - अध्यक्ष ।

(II) सांसद, विधायक और मुखियागण - सदस्य ।

(III) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।

(IV) अंचल अधिकारी - सदस्य सचिव ।

(V) संबंधित विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य ।

(ग) पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) मुखिया - अध्यक्ष ।

(II) पंचायत वार्ड के सदस्यगण - सदस्य ।

(III) विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हार हुए

निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी) - सदस्य ।
(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।
(V) पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों - सदस्य ।
(VI) पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी - सदस्य सचिव ।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा- अन्न, नकद राशि आदि का मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पद के लिये हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में गांवों/टोलों में वितरण किया जाएगा।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नकद राशि के संबंध में पूरी सूचना प्रखण्ड/पंचायत के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चों आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श पंचायत स्तर पर पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड राहत-सह-निगरानी समिति और जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र संख्या 1435 दिनांक 20.08.01 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)